

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार ते प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 154] नई फिली, बुधवार, अप्रैल 1, 1992/चेन्न 12, 1914 No. 154] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 1992/CHAITRA 12, 1914

इस भाग में भिन्म पूब्ट संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकालन को रूप में रचा जा तको

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारतीय पश् चिकित्मा परिषद्,

ग्रधिसूचना

नई दिल्ली, 1 ग्राप्रैल, 1992

मा.का.नि. 395(ग्र).—भारतीय पशु चिकित्सा परिषर् भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् ग्रधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धार्ग 31 के साथ पठित धारा 66 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन ,ने सिम्नलिखित विनियम बनाती है, ग्रथति् :—

 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.---(1) इन विभियमों का संक्षिप्न नाम भारतीय प्रशु चिकित्सा परिषद् (पशु किर्फित्सा व्यवसायियों के लिए वृत्तिक ग्राचरण और शिष्टाचार का मौक्क तथा ग्राकार संहिता) विनिषम, 1992 है।

(2) वे तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

-363 GH/92

परिभाषाएं:

(1) इन विनियमों में, अभ लक संदर्भ से ग्रन्थथा ग्रेपेक्षित न हो,----

(क) "पशु चिकिल्मक" मे ग्रधिनियम में परिभाषित रजिस्ट्रीक्रस पशु-चिकिल्सा स्पत्रमायी ग्रभिप्रेत है।

- (র) "ग्रधिनियम" से भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद्, श्रधिनियम, 1984 (1984 का 52) ग्रभिप्रेत ्है।
- (ग) "विनियम" से वृत्तिक ग्राचरण, शिष्टाचार और ग्राचार संहिता विनिवम श्रभिप्रेत है। इस परिभाषा में दिया गया ग्रर्थ उक्त विनिवर्मों में प्रयुक्त यदों तक ही सीमित है।
- (व) "रोगी" से एफल पशु, पक्षी या उनका समुह श्रभिप्रेत होगा जिसका उपचार/प्रबन्ध किसी पश् चिकिल्सक द्वारा कियाजा रहा है वा उपचार किए जाने/श्रवस्थ किए जाने की सलाह किसी पश्

(1)

भिकिस्सक द्वारा की लाती है। एक कार उपवार/ मलाह के लिए कारण की तर्कसम्मन समाप्ति पर या विनियम सं. 16 के अधीन वर्णित धनौं के प्रधीन यह अर्थ समाप्त हो जाएगा।

- (ङ) "ग्राहक" मे रोगी का विधिक स्वामी या उसका प्रतिनिधि या वह व्यक्ति या वे व्यक्ति या वे क्यक्ति ग्राभिप्रेत है/हैं जिमे/जिन्हें रोगी की जिम्मे-वारी प्रत्यक्ष रूप से मौंपी गई है।
- (च) "वृत्ति" से पणु चिकित्सा वृत्ति ग्रभिप्रेत है जिसके ग्रन्तगैत उसकी सभी णाखाएं हैं, श्रर्थात् पशु स्वास्थ्य, पशु प्रजनन और प्रौद्योगिकी, तथा उसके ग्रन्तगैत कोई समान वृत्ति है जिसमें पशु चिकित्सा सेवा दी जाती है या मांगी जानी है या उसका उपयोग किया जाना है श्रर्थात् प्रयोगशाला पशु औषधि, पशु प्रयोग और वेक्सीन उत्पादन।
- (छ) ''रजिस्टर'' से म्रभिनियम के श्रधीन रखा गया भारतीय पशु-चिकित्मा व्ययमात्री रजिस्टर ग्रभिप्रेत है।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त और उत्पर पृथक् रूप से अपरिभाषित गढदों और पदों के वही धर्ष होंगे जो ग्रधि-नियम में हैं।

3. घोषणा और मपथ:

पणु-चिकित्सा की दुसि में प्रविष्ट होने पर मैं ध्रपने बैज्ञानिक ज्ञान और कौणल का पणु-स्वास्थ्य संरक्षण, पणु-पीड़ा राहत, पणुधन संसाधनों के संरक्षण, लोक स्वास्थ्य की ध्रभि-दृद्धि और पणु-चिकित्सा विज्ञान में ज्ञान की उन्नति के माध्यम मे समाज के फायदे के लिए उपयोग करने की सत्यनिष्ठापूर्वक शपथ लेता हूं।

मैं भ्रपना व्यवसाय सुद्ध भ्रन्स:करण से गरिमापूर्वक और प्रमु-चिकित्मा आचार के मिद्धान्नों के प्रनुसार कढ़ंगा।

मैं यह स्वीकार करता हूं कि अपने वृत्तिक ज्ञान और सक्षमता में निरन्तर सुधार करना ऐसी वाध्यता है जो ब्राजीवन बनी रहेगी।

माधारण सिद्धांत

4. पशु-चिकित्सक-का चरित्र

पणु-चिकित्सा वृत्ति का प्राथमिक उद्देश्य बेहतर पणु-जनन, सुकर करके, पणु-चिकित्सा लौक स्वास्थ्य सुनिश्चित करके और रुग्ण पणुओं की देखभाल करके तथा उनकी पीड़ा कम करके मानवजालि की सेवा करना है, वित्तीय पारिश्रमिक सदैव गौण प्रतिफल है। जो फोई इस वृत्ति का चयन करता है वह मूक जीव-जन्तुओं की मेवा करने के उत्तम ग्रादेशों के ग्रनुसार ध्राचरण करने की बाध्यता ग्रपने अपर लेता है।

पशु-चिकित्मा ईमानदार व्यक्ति होगा और रुग्ण पशुओं की देखभाज करने तथा स्वस्थ पशुओं का प्रबंध करने में तिक्तपट और तराश उहेगा। यह घपने कर्सन्तो के पालन में नम्र, मांत और उद्यत होगा/होगी।

बह अपनी वृत्ति में और उपने जीवन के मभी तार्थी में औचित्यपूर्ण आचरण करेगा/करेगी।

चरित्र और नैतिकता के मानकः

पशु-चिकित्सा यृत्ति ग्रयते सबस्यों से चरित्र और नैतिकना के उच्चतम स्तर की ग्रयेका करती है। प्रत्येक पशु-चिकित्सक का भ्रवनी वृत्ति के प्रति और जनता के प्रति यह कर्तथा है कि बह ऐसा स्तर प्राप्त करे। पशु-चिकित्सकों के लिए प्रह श्रनिवार्य है कि वे वृत्तिक व्यवसाय के सभी मामलों में संयम बरते और ग्रयनी बुद्धि को स्पष्ट रूप से और पूरे मनौयोग से लगाए।

पण चिकित्मकों का उत्तरदायित्व :

पणु-चिकित्सक अपने प्राहकों के पणुओं की धर्मनिष्ठा से पूर्ण सेत्रा करके स्वयं को उनके विष्याम और भरोसे के योग्य मिद्ध करेगा। इन उच्च ग्राइणों से यह विविक्षित है कि पणु-चिकित्मा व्यवसायी का उत्तरदायित्व केवल एक ग्राहक और उसके द्वारा लाए गए पशुओं के प्रति ही गीमित नहीं है अपितु संपूर्ण समाज के प्रति भी है।

7. षिजापन **.**

ममाचारपत्नों, परिपत्न काडों, प्लेकाडों या परचों में अपने श्रापको वरिष्ठना की उस कोटि का दिखा कर जो उसने प्राप्त नहीं की है, ग्राष्ठकों की प्रत्यक्षनः या ग्राज्यक्षतः याचना करना सदाचार के विकज्र है।

किसी भी पशू-चिकित्सक को किसो भी रूप गा रीति में विज्ञापन या सामान्य प्रणालियों के माध्यम में प्रचार के विषय के रूप में ग्रेपने नाम का उपयोग नहीं करना चाहिए या अन्य व्यक्तियों को उपयोग नहीं करने देना चाहिए जो इस प्रकार का हो जिससे उसके प्रति या उसकी वृत्तिक स्थिति या कौणल के प्रति ग्राकर्षण करे या जिसका मामूली तौर पर परिणाम उसका स्वलाभ हो; परन्तु किसी य्ववसायी को लिस्नलिखित बातों के बारे में संसाचारपतों में औपत्रारिक घोषणा करने की ग्रन्जा है, अर्थातु :---

- (1) अपना व्यवसाय प्रारम्भ करना,
- (2) व्यवमाय के प्रकार का परिवर्तन,
- (3) पने में परिवर्तन,
- (4) कर्तव्य मे अस्थायी अनुपस्थिति,
- (5) व्यवसाथ पुनरारम्भ करना,
- (6) किसी ग्रन्थ के व्यक्साय का उत्तराधिकाई होना।

वह व्यापारियों की, जिनके साथ यह किसी भी इसियत में संबंधित हो, या विनिर्माणकर्ता फर्मी की कीमत सूचियों या प्रचार सामग्रो के भाष्यम से प्रपता नाम प्रत्यक्षतः या¹² ग्रप्रस्पक्षतः विज्ञापित भी नहीं करेगा और न ही वह बृत्तिकेतर

internet and the second se समाचारपत्नों या पत्निकाओं में मामले, जल्यकर्म या रोगियों में धन्यवाद-पत्न प्रकाशित करेगा, परन्तु यह कि उसे किसी वुत्तिक पत्निका में तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्टया प्रकाणन के संबंध में अपना नाम प्रकाशित करने की अनुजा होगी।

वृत्तिक सेवा के लिए फीम:

व्यवसाय/सलाहकार सेवा/परामर्श सेवा मे लगा पणु-चिकि-त्सक प्रापनी धाय के स्रोत को ग्राहक को दी गई सेवाओं के लिए प्राप्त फीस तक मीमित रखेगा। ऐसी सेवाओं के लिए प्राप्त पारिश्रमिक उस रूप में और वह रकम होगा जो ग्राहक को उम समय विनिर्दिष्ट रूप से घोषित किया जाएगा जब सेवा दी जाती है।

पण-चिकित्सक अपने विवेकानुसार फीस कम कर सकना है ।

9, पेटेंट और प्रतिलिप्साधिकार

पशु-चिकित्सक शल्यचिकित्सीय ओजारों, साधित्र) और प्रक्रियाओं के अपयोजनो औषधि के पेटेंट या रीतियों और के प्रतिलिप्याधिकार ले सकेगा।

10. खुली दुकान चलाना (औषधियों और साधित का वितरण) :

कोई भी पणु-चिकित्सक अपने नुस्खो को छोड़कर किसी भी श्रन्य चिकित्मक के नुस्खों के योजन के लिए औषधि के विक्रय के लिए खुसी दुकान नहीं चलाएगा। किमी भी पशु-चिकित्सक के लिए औषधियों, उपत्रारों या माधिन के नुस्खे बनाना या प्रदाय करना तभी ग्रनाचार होगा जब ग्राहुक का कोवण हो। किन्दु औषधियों, बलकारक औषधियों या साधित का उपचार के बहान विकय श्रनाचार है।

11. ष्टूट, उपहार और कमीणन

कोई पग-चिकित्सक निर्णेषित/विजेषजीय मंबा या उसके ग्रनन्य उपचार/मुलाह के लिये किमी ग्राहक को भेजने या उपाप्त करने के प्रतिकलस्वरूप कोई उपहार. उपदान, कमीशन या जीनस नहीं देगा, उसकी याचना नहीं करेगाया प्राप्त नहीं करेगा और नहीं वह उमे देने, याचना करने या प्राप्त करने की प्रस्थापना करेगा/करेगी, तथा नहीं बह किसी षुध्निक सहकर्मी, - গাঁপ ঘি या साधित व्यापारी या किमी प्रौद्योगिकीविद से कोई कमीशन गा मन्य लाभ प्राप्त करेगा/करेगी।

12 गुप्त उपचार

किसी पणु-चिकित्सक द्वारा उन गुप्त औषधियों या ग्रन्य गुप्त उपचार के सुस्खे तैयार करना या वितरण करना जिनके मिश्रण या विनिर्माण का पता नहीं है या उनके उपयोग की श्रभिवृद्धि करना अनाचार है।

13. विधिक निर्धन्धनां का अपवंचन

पर्यु जितिस्तम पर्य-जिकिस्ता के व्यवसाय को विनियमित करने में देश की विधियों का पालन करेगा और ऐसी

विधियों का अपवचन करने के लिये अन्य व्यक्तियां की सहायता नहीं करेगा। उसे लोक स्वास्थ्य के हित में स्वच्छना संबंधी विधियों और वितियमों के पालन और में सहयोग करना चाहिये । पण्-चिकित्सक को प्रवर्तन भौषधि श्रधिनियम, भेषजी श्रधिनियम जैसे राज्य झछि-नियमों और ऐसे नियमों और विनियमों के उपबन्धों का करना चाहिये जो पशु लोक स्वास्थ्य के पालन श्रभिवृद्धि के लिये केन्द्रीय सरकार, राज्य संरक्षण और सरकारों या स्थानीय स्यायत्त शासनों और प्रशासनिक निकायों द्वारा बनाये जायें।

पशु-चिकित्सकों के अपने ग्राहकों और रोगियों के प्रति कर्तव्य

14 रोगी के प्रति दायित्व

ग्रापात मामलों के सिवाय, पश्-चिकित्सक उसकी सेवा मांगने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मामलों में उपचार करने के लिये बाध्य नहीं है तो भी वह दयाभाष और अपनी वृत्ति की उदास परम्परा का अनुसरण करते हुए घण्ण और पशुओं/पक्षियों का श्रावण्यकतानुसार उपचार करने के क्षत लिथे न केवल सर्दव तैयार रहेगा अपितु अपने कार्य की उच्च प्रकृषि और उस उसरदायित्व के प्रति भी सचेत रहेगा जो वह अपने वृत्तिक कर्तव्यों के पालन में उपगत करता/कर्सा है।

15. रोगी की उपेक्षा नहीं की जायेगी

पगु-चिकित्मक यह चयन करने के लिये स्वतन्त्र है कि वह किसको मेवा देगा/देगी, परग्तु यह कि वह आपात की दशा में, या जब विचारयुक्त जनना की राग में सेवा की आणा की जाती हे तब वद् सहायता के सिये अनुरोध को स्त्रीकार करेगा/करेगी । एक बार किसी मामले को हाथ में ले लेने पर पशु-चिकित्मक रोगी की उपेका नहीं करेगा और मामले में हटने के पहले प्राहक को पर्याप्त रूप से पूर्व सूचना देगा जिसमें वह किसी अन्य वृत्तिक पशु-चिकित्सक की सेवा प्राप्त कर सके ।

16. सेथा की समाण्ति

(क) कोई पश-चिकित्मक निम्नलिखित विधिमान्य कारणों से अपनी मैवा समाप्त कर देगा :---

- (i) जहां बह पाता/पाती हे कि कोई भ्रन्य व्यवसामी परिचर्या कर रहा है ।
- (ii) जहां उसके ढारा बिहित उपचार/सलाह से भिन्न उपचारों/मलाह का उपयोग किया जा रहा है।
- (iii) जहां उसके उपचार/सलाह और अन्देशों का उल्लधन किया जाता है।
- (iv) जहां वह महसूस करता है कि रूग्णता या उसकी सेवा लेने की आवश्यकता छलावा है और उसे मिभ्या बहाने का एक पक्षज़ार बनाया जारहा है।

- -----

- (४) जहां ग्राहक चिकित्सक की समाह के चिक्द मादक द्रब्ध, ढोंगी चिकित्सा या जादू टोने का भाश्रय लेरहा है।
- (iv) जहां ग्राहक मामले के तथ्मों और परिस्थितियों से संबंधित पूर्ण जानकारी/बृत्त नहीं देता है ।
- (ख) यदि ग्राहक उसकी सेवा चाहता है तो यह पता चलना कि रोग अमाध्य है/या ग्राहफ की समस्थाओं का समाधान नहीं हो सकता किसी पशु चिकित्सक द्वारा परिचर्या बंद कर देने के लिये कारण नहीं हो सकता।
- 17. उपेक्षा का कार्य

(1) कोई भी पशु चिकित्सक जानबूझकर उपेका का कोई ऐसा कार्यनहीं करेगा जिससे प्राहक उस-देखभाज से बंचित हो जाये जो प्रत्यावश्यक है।

(2) किसी पशु-चिकित्सक से सेवा में ऐसी सत्परता और कौबल की प्रत्याका की जासी है जो बैसी न्नी क्रईताओं , प्रनुभव और उपलब्धियों वाले किसी ग्रन्य पशु-चिकित्सक से होती है।

(3) उसके कार्यों या लोपों का धिनिषचय किन्हीं पशु-चिकिस्सा से भिन्न मानकों से नहीं उन मानको के ग्रनुसार किया जायेगा जिनकी उसके समान प्रशिक्षण, प्रतिष्ठा और श्रनुभव वाले पशु-चिकित्सक से प्रत्याशा है। (4) पश-जिकिस्सक मानक औषध विज्ञान के सिद्धातों के अधीन निर्मित किसी औषध का उपयोग करेगा और सभा झावक्वक तैयारी करेगा/मावधानी वरसेगा, र्जसे कीटाणु हनन और उस औषध की सामाण्यतया विहित मात्रा का सत्यापन ।

18. रोगियों के साथ व्यवहार

पणु-जिकित्सक का अपने रोगी के प्रति व्यवहार सदैव करुणामय और धैर्यपूर्ण होगा । प्रत्येक रोगी का उपचार ध्यानधर्वक, विचारपूर्वक और एकाप्रता से किया आयेगा ।

19. देखने जाना

इस तथ्य के होने हुए भी कि पणु-चिकित्सक अपने रोगी/पाहक को देवने जाने के लिये बाध्य नहीं है यदि उसने ऐसा करने का वचन दिया है तो वह निश्चित समव पर वहां आयेगा/जायेगी।

20. रोग के लक्षण

 पश-चिकित्सक रोगें की दशा की गंभी रता को न तो बढ़ा कर बतायेगा श्रौर न ही कम करके। बहु यह सुलिक्षित करेगा कि रोगी को विधिक स्वामी को रोगी की दशा के बारे में ऐसा झान हो जाये जिससे रोगी और उसके स्वामी (ग्राहक) के मर्वोत्तम हिंत का माभन हो ।

(2) खर्रारनाक रोगों की बगा में या जब गंभीर रोगों का पता चलता है ग्रौर प्रति-संचारी तब बहु उसकी संसूचना ग्राहक श्रीर उन ब्यक्सियों को देने में भूक नहीं करेगा जिनके लिये रोग प्रबल खतरा हो सकता है।

बुत्ति के प्रति पशु-भिकित्सक के कर्तव्य

21. वृत्ति का सम्मान बनाये रखना

पगु-चिकित्सक से यह आगा की आती है कि वह ग्रपनों वृत्ति की गरिमा ग्रौर सम्मान बनाये रक्षेगा।

22. सोसाइटियों की सदस्थता

अपनी वृत्ति की धभिवृद्धि के लिये पश-चिकित्सक ध्रपने आपको बुत्तिक सोमाइटियों से सहबद्ध कर सकेगा ग्रौर अपने समय, साधनों ग्रौर शक्ति से उनकी प्रगति में योगदान कर सकेगा जिससे कि वे अृत्ति के उद्देश्यों का बेहतर प्रतिनिधित्व ग्रौर अभिवृद्धि कर सके ।

23. जुत्ति की रक्षा करना

प्रत्येक पशु-चिकिस्सक को ऐसे व्यक्तियों के, जिसके नैतिक ग्राचरण या शिक्षा में कमी है, वृत्ति में प्रवेश रोकने में सहायता करनी भाहिये । उसे अपने वृत्तिक व्यवसाय के संबंध में रोगियों का उपचार करने या उनकी शस्त्र-चिकिस्सा करने के लिये कोई अनईक कार्मिक नियोजित नहीं करना चाहिये।

24. ग्रमैतिक आचरण का प्रकटीकरण

वृत्ति के किसी सदस्य के श्रनैतिक माचरण का प्रकटीकरण भग और पक्षपात के बिना किया जायेगा। वृत्ति के किसी सदस्य के प्रक्षम, भ्राष्ट, बेईमानी के या धनैतिक धाचरण का किसी भी कीमत पर समर्थन नहीं करना चाहिये।

25. तत्स्थानी की नियुग्तित

जब कभी कोई पशु-चिकित्सक (जिसे इसमें इसके ग्रागे ग्रनुपस्थित पशु-चिकित्सक कहा गया है) व्यवसाय से ग्रपनी ग्रस्थायी ग्रनुपस्थिति के वौरान उसके रोमी ग्राहकों की परिचर्या भरने के लिंग किसी मन्य पशु-चिकित्सक से अनुरोध करता है तो वृत्तिक शिष्टाचार यह ग्रपेक्षा करता है कि वह नियुक्ति को स्वीकार करेगा) यदि बह जसके मन्य कर्तन्यों से संगत है।ऐसी नियुक्ति के प्रधीन पणु-चिकिस्सक ''अनुपस्थित'' पशु-चिकित्सक के हित ग्रीर ख्याति का अत्यधिक ध्यान रखेगा। बह ग्रपनी सेवाग्रों के लिये रोगी या ग्रनुपस्थित पशु-विकित्सक से कोई प्रभार नहीं लेगा किन्तु यवि उनके बीच कोई विजेष ठहरान है तो नह ऐसा कर सकेगा। ऐसे सभी रोगी "अनुपस्थित" पशु-चिकित्सक की वापसी पर उसकी देखभाल में बापस कर धिये जायेंगे।

and the second second

An and the second first of the second state of the second state of the second state of the second state of the

भारत का राजपत्र : समामारण

26. पशु-चिकित्सकों की एक दूसरे के प्रति वृस्तिफ संवाएं

(1) ऐसा कोई निमम नहीं हैं कि कोई पशु-चिकित्सक सेवा करने के लिय किसी प्रत्य पशु-चिकित्सक या समान बृत्ति के किमी सदस्य से कोई प्रभार नहीं लंगा । किन्त पशु-चिकित्सक प्रपने बृत्तिक बंधुयों की छनु-ग्राहिक सेवा करने में प्रसन्तता ग्रौर गर्व का प्रनुभव करेगा यदि वे उसके निकट रहते हैं या वे पशु-चिकित्सा के छात्र हैं ।

(2) जब कोई पशु-चिकित्सक किसी सह-पशु-चिकित्सक या किसी समान वृत्ति के सदस्य के रोगी की परिचर्या करने के लिय दूर से बुलाया जाता है तो याझा श्रीर श्रन्थ ग्रानुषंगिक व्यय की प्रतिपूर्ति की जायगी।

(3) किसी प्रन्य पशु-जिकित्सक की देखरेक के प्रधीन किसी रोगी को ग्रापात में देखने के लिये बुलाया गया पशु-जिकित्सक ग्रापात की दशा समाप्त हो जाने पर रोगी को मूल पशु-जिकित्सक को सौंपकर ग्रालग हो जायगा, किन्तु वह ग्रापनी सेवाग्रों के लिय ग्राष्ट्रक से प्रभार पाने का हकदार होगा।

(4) जब किसी पशु-खिकित्सक से उसके अपने निवास पर परामर्श लिया जाता है तो वह यह पूछताछ करने के लिय बाध्य नहीं है कि क्या रोगी किसी प्रस्थ पशु-चिकित्सक की देख रेख में रहा है । किन्तु रोगी के हित में वह, रोगी का वृत्त जानते समय यह देखेगा कि क्या उपचार किया गया था । किन्तु इस जानकारी का उपयोग उम पशु-चिकित्सक को जिसने रोगी की पहले परिचर्या की थी, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कलं कित करने या उसके विरुद्ध उकसाने के लिय करना प्रनैतिक है । जब कोई पशु-चिकित्सक किसी रोगी को किसी प्रन्य पशु-चिकित्सक के प्रनुरोध पर देखता है तो उसका यह कर्तव्य होगा कि वह (पूर्व कथित) रोगी के बारे में एक पत्न लिखकर प्रपती राय दे और यह बताये कि उसके विचार में रोगी के बारे में उपचार की कौनसी रीति ग्रपनाई जानी ग्रपेक्षित है।

27. यदि किमें। पणु-चिकित्सक को कठिन प्रसव या बैसी ही व्याधि के लिये नियुक्त किया जाता है तो वह बह कार्य स्वीकार करेगा। किसी ग्रन्य कार्य में लगे हुए होने के बहाने ऐसा करने से इंकार करना अनैसिक है सिवाय तब के जब बह वैस ही या किसी ग्रन्थ गंभीर मामले (मामलों) में पहले ही लगा हुआ है।

जब किसी गंभीश्र रोगी की परिचर्या करने के लिये नियुक्न कोई पशु-चिकित्सक अनुपस्थित है और किसी क्रन्य पणु-चिकित्सक को बुलाया जाना है तो वह दूसरा पणु-चिकित्सक विधि सम्मत फीस का क्षकदार है, प्रत्तु पहले वाले पणू-चिकित्मक के आजती पर परस्पर सहमति के आधार पर और तर्कसम्मत प्रक्रम पर हट जाने के लिये रोगी की सहमति प्राप्त करेगा/ करेगी। 28. जब शासकीय पद धारण करने थाले किसी पशु-चिकित्सक का यह कर्तांच्या हो जाता है कि वह किसी रोगी की रूग्णत या क्षति या कोई ग्रन्य वृत्तिक समस्याओं को देखे और उनके संबंध में रिपोर्ट करे तो वह ऐसा करेगा किंतु वह परिचर्या करने वाले पशु-चिकित्सक को इसकी संसूचना देगा जिससे उसको उपस्थित रहने का प्रवसर मिल जाए । पशु-चिकित्सक (पहले वाला) उस रोग-निदान या उपचार के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेगा। किंतु वह दूसरे वाले पशु-चिकित्सक के साथ एकांत में विधार-विमर्श कर सकता है।

iv परामर्श करने में व्यवसाग्नियों का कर्तक्य

29. गंभीर रूग्णता/संदेहास्पद य कठिन स्थितियों की वशा में पशु-चिकित्सक परामर्श के जिए सदैव ब्रनुरोध करेगा; बड़ी शल्य-चिकित्सीय बाधाओं में पशु-समूह को रोगों के हो जाने पर, विषांकतन, स्थानीय रोगों या निदाम न की जा सकने वाली स्थितियों में भी वह ऐसा करेगा / करेगी ।

30. परार्में में समय का पालन

किसी परामर्ग में उपस्थित होने के लिए पणु-चिकित्सक समय का पालन करेगा । यदि कोई परामर्गी पगु-चिकित्सक उस दूरी का जिससे उसे आना है और अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए, युक्तियुक्त समय के भीतर नहीं आता है तो परामर्श लेने बाला पगु-चिकित्सक रोगी को देखने के लिए स्वतंत्र होगा, परंतु यह कि वह प्रपना लिखित निष्कर्ष बंद लिफाफे में छोड़ जाएगा। जब परामर्श लेने वाला पशु-चिकित्सक ममय पर आने में असफल रहता है तब भी मह नियम लागु होगा।

31 ग्रान्य पशु-चिकित्सक को निर्दिष्ट रोगी

जब कोई मामला किसी अन्य पशु-चिकित्सक को निर्दिष्ट किया जाए तो पूर्ववृत्त, संप्रेक्षण, रोग संबंधी और प्रयोगशाला परीक्षा तथा तत्काल के लिए किए गए उपचारों का विवरण दिया जाए।

उपर्युक्त विवरण की प्राप्ति पर निर्दिष्ट मामले को प्राप्त करने वाला पणु-चिकित्सक परिचर्या करने वाले पशु-चिकित्सक को ग्रपनी राय संयूचित करेगा/करेगा और मा तो भ्रपनी राय के श्रनुसार उपचार जारी रखेगा या भ्रपनी राय संयूचित करते हुए मामला वापस कर देगा/देगी ।

32. परामर्श रोगी के फायदे के लिए होगा।

प्रत्येक परामर्श में रोगी का फायदा ही एकमाझ लक्ष्य होगा यह उत्तरदायित्व से बचने या धन प्राप्ति के छट्टेप्य से नहीं किया जाना चाहिए ।

33. परामर्श का संचालन

(1) परामर्श में अगंभीरता, प्रतिस्पर्धा या ईर्ष्या के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मामले के प्रभारी पश-चिकित्सक के प्रति सभी सम्पत् धादर दर्शित किया जाएगा और कोई ऐसा कथन या टिप्पणि नहीं की जाएगी जिसले याहक ढारा उसमें किया गया विख्यास कम हो। इस प्रयोजन के लिए ऐसी कोई चर्चा ग्राहक के समझ नहीं की जाएगी।

and the second second

(2) ग्राहक को किए गए सभी कथन परामर्श लेने वाले के संबंध में (2) ग्राहक को किए गए सभी कथन परामर्श लेने वाले के संबंध में पशु-चिकित्सक की उपस्थिति में किए जाएंगे, सिवाय तब के करने (जिनमें जब ग्रन्थथा करार पाया जाए । ग्राहक को घोषणा भी होगा) और यथासंभव विस्तार तक परामर्श लेने वाले पशु-चिकित्सक ढारा मानवता के कि की जाएगी । वे स्वच्छता स

(3) मतभेद तब तक प्रकट नहीं किया जाएगा जज तक कि दोनों यह अनुभव न करें कि वह रोगी के हित में या बृत्ति की गरिमा के लिए है।

(4) ग्राहक और सलाह लेने के लिए स्वतंत्र होगा और परामर्श लेने वाला प्रयु-चिकित्सक ग्राहक की सहमति में किसी और पशु-चिकित्सक से परामर्श ले सकेगा । इसमें ग्राचार के नियम वही होंगे ।

34. परामर्श की समाप्ति

परामर्श लेने वाले पशु-चिकित्सक की परिचर्या परामर्श के साथ ही समाप्स हो ज़ाएगी जब तक कि परिचर्या करने वाला पुनः परामर्श के लिए समय नहीं लेता है ।

35. परामर्श के पश्चात उपचार

परिचर्या करने बाला पशु-चिकित्सक उपधार में कोई ऐसा पश्चात्यती परिवर्तन करने से अवरूद्ध नहीं होगा जो किसी ग्रनाशयित परिवर्तन (स्थिति) में प्रपेक्षित हो, परंतु ग्रागामी परामर्श में परिवर्तनों के कारणों का कथन किया जाएगा।

वही विश्वेषाधिकार, उसकी वाघ्यताओं सहित, परामर्शी का होता है जब परिचर्या करने वाले पणु-चिकित्सक की श्रनुपस्थिति में श्रापात में उसे बुलाया जाता है। परिचर्या करने वाला पशु-चिकित्सक किसी भी समय औषध के उपयोग की सलाह दे सकेगा । किंतु परामर्शी केवल श्रापात या तुरंत श्रावश्यकता की दशा में/दोनों ही सभी उपचारों का एक दूसरे को कथन करेंगे।

36. परामर्शी मामले को अपने भारसाधन में नहीं लेगा।

जव किसी परामर्शी पगु-चिकित्सक से परामर्श की अपेक्षा की जाती है तो बहुत ही कम और श्रनि असाधारण परि-स्थितियों में परामर्शी के लिए यह न्यायसंगत होगा कि बह मामले को अपने भारसाधन में ले।

उसे ग्राहक या उसके प्रतिनिधि के ग्रनुरोध पर ही ऐसा नही करना थाहिए ।

37. श्ररजिस्ट्रीक्वत पणुचिकित्सकों से परागर्श लेत के विरूद्ध वर्जन।

कोई भी पशु-चिकित्सक किसी ऐसे पशु-चिकित्सक मे परामर्श्व नहीं करेगा जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है ।

VI पशु-चियित्सकों केजनता के प्रति कर्तब्ध 38. नागरिक के रूप में पश्-चिकित्सक

पशु-चिकित्सक बिशेष प्रशिक्षण प्राप्त अष्ट नागरिक के रूप में जहां वे रहते है वहां पशुओं के स्वास्थ्य और पालन के संबंध में सलाह देंगे। वे समाज की बिधियों को प्रवर्तित करने (जिनमें किसी समुदाय के प्रति पक्षपान या पूर्वग्रह नही होगा) और उन संस्थाओं को समर्थन करने के लिए जो मानवता के हितों को श्रग्रसर करता हैं, श्रपना योगदान करेंगे। वे स्वच्छता संबंधी विधियों और औपध, विष और भेषजी के संबंध में स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए बनाई गई विधियों का पालन करने में प्राधिकारियों से महयोग करेंगे ।

39. लोक स्वास्थ्य

लोक स्वास्थ्य कार्य में लगा हुआ पणु-चिकित्सक करंतीन विनियमों के संबंध में और एक प्रकार के पशुओं में एक ही समय में होते वाले रोगों, पशुओं से मनुष्य को संचारी रोगों और खाद्यवाहित रोगों और मतता तथा संचारी रोगों के निवारण के लिए उपायों के संबंध में जनता को ग्रवगत कराएंगे । पशु-चिकित्सक उनकी देखरेख के ग्रधीन संचारी रोग के प्रत्येक मामले की संसूचना संबंधित प्राधिकारियों को उनकी विधियों, नियमों और विनियमों के ग्रनुसार करेंगे । जब कोई महामारी फैली हुई हो तब पशु-चिकित्सक ग्रपना कार्य ग्रपने स्वास्थ्य को जोखिम का ध्यान किए बिना करता रहेगा /करती रहेगी । वह पशु-उत्पादों और उनके ग्रपशिष्टों के स्वच्छता से हथालना सुनिश्चित करने तथा खाद्यवाहित रोगों और मतताओं के बारे में जनता को शिक्षित करने का प्रयास करेगा/करेगी ।

40. पशु-उत्पादन और प्रीद्योगिकी

पशु-चिकित्सक औदोगिक प्रबंध पर जिसमें मितव्ययी निर्माण और स्वच्छ ग्रावास, बैज्ञानिक जनन कार्यक्रम, रोग निवारण चर्या, प्रजनन स्वास्थ्य मानीटरी, उत्पति के पूर्व, उस पर और उसके पश्चात् स्वच्छ और व्यवस्थित वेखरेख, नवजात की देखरेख, कृषि उपज का स्वच्छ संग्रहण और पशु-उत्पादों और उनके ग्रपशिष्टों का उचित व्ययन है, समय पर सलाह/प्रचार के माध्यम मे पशु-उत्पादन की बेहतरी के लिए प्रयास करेगा ।

उसे क्रुव्रिम गर्भाधान के दौरान समय से गर्भाधान और कीटाणु नाशक रूप में हथालने के संबंध में जनता और परा-पणु-चिकित्मीय कर्मचारिवृन्द को शिक्षित करने और धर्वज्ञानिक तथा ध्रस्वच्छ गर्भाधानों को निरूत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए।

41. भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् निम्नलिखित बातों को रजिस्ट्रीक्रुत पशु-चिकित्मा व्यवसायिपीं को जानकारी देनी है।

उन अपराधों और बृत्तिक ग्रवचार संबंधी मामलों में जो अनुशासनिक कारयाई के लिए समुचित पशू-चिकित्सा परिषद् के समक्ष लाए जाएं, नमुचित पशू-चिकित्स परिषद् श्रीधेतिगम की धारा 31 द्वारा प्रदत्त प्राधिकार से ऐसे दंड श्रीधनिर्णीत भर राजेंगी जो शावश्यक पमर्झे पए या रजिस्टर से सहा के लिए या किर्गा विनिद्दिष्ट ग्रवधि के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत पश् चिकित्सा व्यवसायी का नाम हटाने का श्रादेश दे सर्वेगी जो ऐथे किसी ग्रगराध के लिए सिद्धदोग ठहरायागया है जिससे पगु-चिकित्सा परिषद् (परिषदों) की राय में चरित्र में कोई वृटि विवक्षित है या जो जांच के पश्चात् जिसमें ऐमे रजिस्ट्री-कृत पशु-चिकित्सा व्यवसायियों को व्यक्तिगत रूप से या किसी पनीडर के माध्यम से चुने जाने का ग्रवसर दिया गया है, समु-चित पशु-चिकित्सा परिषद् द्वारा गंभीर यून्तिक ग्रवचार के दोर्षा ग्रभिनिर्णीत किए गए हैं। समुचित पशु-चिकित्सा परिषद् यह निदेश भी दे सकेगी कि इस प्रकार हटाया गया काई नाम प्रत्यावन्ति किया जाए ।

यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि ग्रपगधों और वुलिक अवचार के जो दुष्टांत दिए गए है, गहित कार्यों की संपूर्ण सुची गठित नहीं करते है और गठित करने के लिए ग्राशयित नहीं है जिनके लिए उन्हें रजिस्टर में नाम के हटाए जाने के दंड से दंडित किया जासकेगा और कि यह सूचना जारी करके भारतीय पण्-चिकित्सा परिषद और/या राज्य पण-चिकिल्मा परिषद् (परिषदें) किसी रजिस्ट्रीकृत पश्-चिकित्सा व्यवसायी के किसी वृत्तिक ग्रवचार पर विचार करने और उसके संबंध में कार्यवाही करने से किसी भी प्रकार से प्रवारित नहीं हो गई है/हैं । ऐसी परिस्थितियां समय-समय पर उत्पन्न हो सकनी हैं और होती है जिनके बारे में वृत्तिक अवचार के प्रश्न उद्भुत हो सकते हैं और जो इनमें से किन्हीं भी प्रवर्गों में नहीं आते हैं। इसके बारे में सावधानी बरतनी चाहिए कि गंहिता का किसी भी प्रकार ग्रतिकमण नहीं हो । ऐसी दणा में और ग्रन्थ दुसरी क्याओं में भी भारतीय पग्-चिकित्सा परिषद् और/या राज्य पण्-चिकित्मा परिषद् (परिषदे) भारतीय पशु-चिकिल्मा परिषद् और/या राज्य पश्-चिकित्मा परिपदो के समक्ष लाए गए नथ्यों पर विचार करके विनिण्चय करेंगी ।

42. वृत्तिक अवचार

निम्नलिखित कार्य वृत्तिक ग्रवचार गठित करते हैं:

- किमी रोगी के साथ अनुचित आचरण या किसी ग्राहक के साथ ग्रमचित संबंध रखना।
- ऐमे ग्रपराधों के लिए, जिनमें नैतिक ग्रधमता ग्रन्तर्घलित है, किमी न्यायालय द्वारा दोपसिद्धि ।
- मिथ्या वृत्तिक प्रमाणपत्न, रिपोर्ट और ग्रन्थ दस्तावेज देना या उनमें छेड्छाड़ करना।

रजिस्ट्रीक्रुत पशु-चिकित्सा व्यवसायी कुछ मामला में पशू-चिकित्सा सेवा के भाग के रूप में त्यायालय, प्रशासनिक कार्यालयां, वैकों ग्रादि को हम्नाक्षरित प्रमाणपत्न, रिपोर्टे और इमी प्रकार के ग्रत्य दस्तावेज देने के लिए विधि द्वारा ग्रावड हैं या उनसे समय-समय पर इसके लिए जपेक्षा या ग्रमुरोध किया जा सकता है (धारा 29 और 30 देखें)। (1) प्रान्ध तत्समान और/एं। उसी प्रकार के देग्तावेजों के ग्रतिरतत्वर्णाल होते हुए भी ऐंगे उस्तावेजों में तिम्तलिखित समिमलित होंगे :---

- (क) पालतू पश्ओं के यनुजालन के लिए टीके का प्रमाणपत्न।
- (ख) एक राज्य में अन्य राज्य को पार करने के लिए टीके का प्रमाणपत ।
- (ग) पशुओं के निर्यात के लिए टीके का प्रमाणपत्न ।
- (य) वीमा, अजिस्ट्रीकरण आदि के प्रयोजन के लिए घोड़े के लिए आरोग्यता प्रमाणपत्र या पशु के लिए स्वास्थ्य प्रमाणपत्र ।
- (ह) क्षयरोग परीक्षण जैंस परीक्षणों (निदान) के परिणाम दर्णित करने वाला प्रमाणपत्न।
- (च) वीमा दावों ग्रादि के प्रयोजन के लिए पगु-चिकित्सीय विधिक मामलों में शव-परीक्षा रिपोर्ट।
- (छ) दुर्घटना, कूरता या बदला प्रान्तर्वलित करने वाले पग-चिकित्सीय-विधिक मामलों में नुकसान और/ या क्षय का विस्तार और प्रकृति दर्शित करने वाला ग्राधात प्रमाणपन्न।
- (ज) बीमा, रजिस्ट्रीकरण, उधार यादि के प्रयोजनों के लिए उस समय अपेक्षिन जन्म प्रमाणपत्त।
- (জ) उत्पत्ति दोष, रोग या किसी पशु को ग्रलाभकारी (विनप्ट करने के लिए टीक) करने की ग्रन्थ दशाएं दर्शित करने वाला प्रमाणपन्न।
- (ञा) जहां उपचार लाभकर होने की संभावना नही है वहा दयापूर्वक मृत्यु के लिए प्रमाणपत्न, दयापूर्वक मृत्युकारित करने का प्रमाणपत्न।
- (ट) पशुओं/पक्षियों/पणु-उत्पादों के उतरने के स्थानों पर करंतीन समाप्त होने पर करंतीन निकासी प्रमाण-पत्र।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत पशु-चिकित्सा व्यवसायों, जिसके बारे में यह साबित हो जाता है कि उसने कोई ऐसा प्रमाण-पल, रिपोर्ट या इसी प्रकार का कोई दस्सावेज हस्ताक्षरित या अपने नाम या प्राधिकार से दिया है जो ग्रसस्य. आमक या कई मामलों में ग्रनुचित रूप में संबंधित है जिनमें से कुछ उपर विनिर्दिष्ट किए गए है तो भारतीय पमु-चिकित्सा व्यव-सायी रजिस्टर से उसका नाम हटाया जा सकेगा।

(3) रजिन्द्रीक्वत पशु-चिकित्सा व्यवसायी एक पशु चिकित्सा प्रमाणपत्र रजिस्टर बनाए रखेगा जिसमें उन प्रमाण-पत्नों के पूरे व्योरे दिए जाएंगे जो उसने जारी किए है।

(4) ऐसा प्रमाणपत जारी करते समय रोगी का पाहमान चिन्ह, नाम और संख्यांक, यदि कोई हो, श्रायु और अन्य क्योरे दिए जाएंगे जिनके श्रन्तर्गत स्थामी का साम है और प्रमाणपत्र की एक प्रति वह अपने पास श्रभिलेख के लिए रखेगा। ग्राहक के हस्ताक्षर और/या अंगूटा चिन्ह तथा एक घोषणा कि वह रोगी का वास्तविक स्वामी है या उमका प्राधिक्वस प्रसिनिधि है, सदैव श्रभिप्राप्त किया जाएगा।

4. औषधों से संबंधित विधियों और उनके प्रधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन ।

5. जैसा उम विधि ढारा उपबंधित है उसके मिवाय जनता या ग्रपने ग्राहकों को विधि ढारा विनियमित किसी औषध या विष का विश्वय करना।

6. कोई अवैध शल्य त्रिया करने या किसी अनई व्यक्ति को ऐसा करने के लिए समर्थ बनाना जिसके लिए कोई चिकित्सीय, शल्य चिकित्सीय या ेमनोचैज्ञानिक संकेत नहीं है।

7. किसी औषधि विकेता की दुकान पर या ऐसे स्थानों में जहां पणु-चिकित्सक निर्वास नहीं करता है या कार्य नहीं करता है, नामपट्ट लगाना इसका ग्रर्थ घोषणा बोर्ड या दिशा संकेतक नहीं है।

8. कोई बोर्ड या नाम संप्रदर्शित करते समय किसी पशु-चिकित्सक के लिए उस पर उसके नाम, किसी विण्वविद्यालय या किसी कानुनी निकाय में श्रमिप्राप्स श्रहेताओं, उपाधियों और उसकी विशेषता, यदि कोई हो (ऐसा नाम उसके नुस्खे लिखने के कागज पर लिखा होगा) और रजिस्ट्रीकरण संख्यांक में भिन्न कुछ और निखना श्रन्थित है ।

9. ग्रल्य-चिकित्सा करने से पूर्व रजिस्ट्रोक्वन पणु-चिकित्सक को ग्राहक से लिखित सहमति अभिप्राप्त करनी चाहिए। दयापृर्वक मृत्यु कारित करने के पूर्व भी सहमति ली जाएगी।

10. कोई भी पशु-चिकित्सक ग्राहक उपाप्त करने के लिए दलाल या अभिकर्ताओं का उपयोग नहीं करेगा।

43. अनुशासनिक समितियां

एक श्रनुशासनिक समिति होगी जिसका कर्तव्य निम्नलिखित पर विचार करना और उसका अवधारण करना होगाः

- (क) राज्य पणु-चिकित्सा परिषद ढारा उनको निर्देक्षित किया गया अनुणासन भंग का कोई मामला या व्यथित रजिस्ट्रीकृत पणु चिकित्सा व्यवसायियों ढारा थ्रपील ।
- (ख) कोई ग्रन्य मामला जिसका ग्रनुशासन समिति को संज्ञान है।

44. राज्य पशु-चिकित्मा परिषद निम्नलिखित के संबंध में समिति (समितियों)/उप ममिति (समितियों) के माध्यम में (तथ्यों का पता चलाकर और शिकायतें प्राप्त करके) ग्रन्वेषण करेगी :

(क) किसी दांडिक अपराध के लिए, जो समिति की राय में उसे पशु-चिकिस्सा बुनि का व्यवसाय करने के लिए अयोग्य बना देता है, सिद्धदोप ठहराए गए रजिस्टीक्रल पशु चिकित्सा व्यवसायी।

- (ख) किसी वृति के दुष्टि से निकृध्ट आचरण का दोषो पाया गया । अधिनिर्णात कोई ऐसा पणु चिकित्सक ।
- (ग) कोई व्यक्ति जिसका नाम रजिस्टर में कपट-पूर्वक दर्ज किया गया है।

45. राज्य पशु-चकित्सा परिषद् (परिषदें) किसी भरजिस्ट्रीइन व्यक्ति या व्यक्तियों के बारे में शिकायतों की प्राप्ति पर, कि बह प्रधिनियम की धारा 30 की उपधारा (ख) के भ्रधीन वणित लघु पशु-चिकिस्सा सेवाएं करते हुए, प्रपर्यंवेक्षित उपचार पशु-चिकिस्सीय सेवा प्रपने प्रापको पशु-चिकित्सक दर्शित करते हुए करता है/करते है, प्रावश्यक प्रन्वेषण करेगो / करेंगी और संबंधित राज्य सरकार को समुचित कार्रवाई करने की सलाह देगी / देंगी या स्वयं विधि के ग्रधीन कार्रवाई ग्रारंभ करेंगी/ करेंगी ।

[सं. 4--4/91 वी सी ग्राई / 3]

ग्राचार्य (डा.) रामा कुमार वी। सचिव

VETERINARY COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 1992

G.S.R. 395(E).---In exercise of the powers conferred by section 66 read with section 31 of Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984) the Veterinary Council of India, with previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely :---

- Short title and commencement.—(1) These regulations may be called, the Veterinary Council of India (Standard of Professional Conduct, Etiquette and Code of Ethics, for Veterinary Practitioners) Regulations, 1992.
 - (2) They shall come into force on the date of its publications in the Official Gazette.

2. Definitions—.(1) In these regulations, unless the context otherwise requires, —

(a) 'Veterinary' means a registered veterinary practioner as defined in the Act.

(b) 'Act' means the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984).

- (c) 'Regulations' means the Standard of Professional Conduct, Etiquette and Code of Ethics Regulations. This definition limits its meaning to the terms used within the said regulations.
- (d) 'Patient' shall mean an animal, bird or a group of them being terated or managed or advised to be treated or managed by a veterinarian,
- (c) 'Client' means the legal owner of the patient or his representative, or the person or persons directly assigned responsibility of the patient,
- (f) 'Profession' means veterinary profession covering all its branches, namely, animal health animal production and technology, and shall include any vister profession wherein veterinary service is extended or is sought or is made use of, namely laboratory animal medicine, animal experimentation and vaccine production.

3. Declaration and oath by a Veterinarian.—Being admitted to the profession of veterinary medicine. I solemnly swear to use my scientific knowledge and skills for the benefit of society through the protection of animal health, the relief of animal suffering, the conservation of livestock resources, the promotion of public health, and the advancement of knowledge in veterinary science.

I shall practise my profession conscientiously, with dignity, and in keeping with the principles of veterniary medical ethics.

I accept as a lifelong obligation the continuous improvement of my professional knowledge and competence.

GENERAL PRINCIPLES

4. Character of the veterinarian.—The primary object of the veterinary profession is to render service to humanity by facilitating better animal production, ensuring veterinary public health as also caring for the sick animals and alleviuting their suffering; financial reward is always a subordinate consideration. Whoseever chooses the profession, assumses the obligation to conduct oneself in accordance with the noble ideals of serving the dumb and mute creatures. The veterinarian shall be an upright person and shall be sincere and diligent in caring for the sick and managing the healthy animals. He[She shall be modest, sober, and prompt in discharging his]her duties.

He|She shall conduct himself|herself with propriety in his|her profession and in all actions of his|her life.

5. Standards of character and morals.—The veterniary profession expects from its members the highest level of character and morals. Every veterinarian owes to the profession and the public a duty to achieve such a level. It shall be incumbent on veterinarians to be temperate in all matters of practice of the profession and to exercise clear and vigorous application of mind.

6. Veterinarian's responsibility.—A veterinarian shall merit the trust and confidence of his|her clients, rendering their animals full measure of service with devotion. The honoured ideals imply that responsibilities of a veterinarian extend not only to one client and the animals he brings but also to the entire society.

7. Advertising.—Soliciation of clients by a veterniarian directly or indirectly through an advertisement in newspapers, circular cards, placards, or handbills in a manner projecting himself/herself to be in a position of superiority which he/she himself/herself has not achieved, is untheical.

A veterinarian should not make use of or let others make use of him her or his her name as a subject of any form or manner of advertising or publicity through lay channels which shall be of such a character as to invite attention to him her or his her professional position or skill or as would ordinarily result in his her self-aggrandisment; provided that a practitione is pemitted formal announcement in press about the following matters namely :

- (1) starting of his her practice,
- (2) change of type of practice,
- (3) change of address,
- (4) temporary absence from duty,
- (5) resumption of practice,
- (6) succeeding to another's practice.

He|She shall further not advertise directly or indirectly through price lists or publicity materials of manufacturing firms or traders with whom he|she may be connected in any capacity, nor shall he|she publish cases, operations or letters of thaks from patients in non-professional newspapers or journals; provided that it shall be permissible for him/her to publish his/her name in connection with a technical expert's report or publication in a professional journal.

8. Fee for professional service.—A veterinary engaged in practice advisory service consultancy, shall limit the

863 GI|92-2

source of his her income to the fee received for services rendered to the client. Remuneration received for such services shall be in the form and amount specifically announced to the client at the time the service is rendered.

9. Patent and Copyrights.—A veterninarian may patent surgical instruments, appliances and medicine or copyright applications of methods and procedure.

10. Running an Open Shop.—(Dispensing of drugs and appliances by veterinarians).

A veterinanarian shall not run an open shop for sale of medicine for dispensing prescriptions by doctors other than himself.

11. Rebates, gifts and commissions.—A veternarian shall not give, solicit or receive nor shall helshe offer to give, solicit or receive, any gift, gratuity, commission or bonus in consideration for the referring or procuring of, any client for specialist[expert service or exclusive treatment] advice thereof; nor shall he/she receive any commission or other benefit from a professional colleague, trader of medicine or appliances or from a technologist.

12. Secret Remedies.—The prescribing or dispensing by a veterinarian of secret medicines or other secret remedial agents, of which he|she does not know the composition or the manufacture, or promotion of their use, is unethical.

13. Evasion of Legal Restrictions.—A veterinarian shall observe the laws of the country in regulating the practice of veterinary medicine and will not assist others to evade such laws. He|She should co-operate in the observance and enforcement of sanitary laws and regulations in the interst of public health. A veterinarian shall observe the provisions of the State Acts like Drugs Act, Pharmacy Act, Rules and Regulations made by the Central Government, State Governments or Local Self Governments and Administrative Bodies for protection and promotion of veterinary public health.

DUTIES OF VETERINARIANS TO THEIR CLIENTS

AND PATIENTS

14. Obligatin to the patient.—Though a veterinarian is not bound to treat cases of each and every one asking for his|her service, except in emergencies, he|she shall for the sake of humanity and the noble tradition of the profession, not only be ever leady to respond to the need of the sick and injured animals|birds, but shall also be mindful of the high character of his|her mission and the responsibility he]she incurs in the discharge of his|her professional duties.

15. Patient not to be neglected.—A veterinarian is free to choose whom he|she will serve, provided that he|she sball respond t_0 any request for his|her assistance in an emergency or whenever temperate public opinion expects the service.

Once having undertaken a case, a veterinarian shall not neglect the patient nor shall helshe withdraw from the case without giving notice to the client sufficiently in advance, to allow him secure another professional veterinarian.

16. Termination of service.—(a) A vetecinarian shall withdraw his her service under following valid reasons :—

- (i) Where he/she finds another veterinarian in attendance.
- (ii) Where remedies advice other than those prescribed by him her are being used.
- (iii) Where his her remedies advice and instructions are refused.
- (iv) Where hc|she feels that the illness or the need of his|her service is an imposture and that he|she is being made a party to a false pretence.
- (v) Where a client is resorting to the use of intexicating drugs means of quackery or witchcraft against medical advice; and
- (vi) Where complete information history concerning the fact and circumstances of the case are not supplied by a client.

(c) The discovery that the malady is incurable/the client's problems are unsolvable, is no execuse to discontinue attendance by a veterimatian as long as his/her client desire the service.

- 17. Act of negligence.—(1) No veterinarian shall wilfully commit an act of negligence that may deprive patient of the care that is absolutely necessary.
 - (2) A veterinarian is expected to show such diligence and skill in service as would be expected of another veterinarian of similar qualifications, experience and attainments.
 - (3) His/Her acts of commission or ommission shall not be judged by any non-veterinary standards, but as those expected from a veterinarian of his/her training, standing and experience.
 - (4) A veterinarian shall use any drug prepared under standard pharmacological principles and shall adopt all 'necessary preparations/precautions, like sterilization and verification of doses as are normally prescribed for that drug.
- 18. Behaviour to patients,

The demeanour of a veterinarian towards his/her patient shall always be kind, tender and full of patience. Every patient shall be treated with attention, consideration and concentration.

19. Visit.

Notwithstanding the fact that a veterinarian is not bound to visit his/her patient/client, he/she shall make it at the indicated nour, once he/she had committed to do so.

- 20, Prognosis.
 - (a) A veterinarian shall neither exaggerate nor minimise the gravity of a patient's condition. He/she shall ensure that the legal owner of the patient has such knowldege of the patient's condition as will serve the best interest of the patient and its owner (client).
 - (b) In case of dangerous manifestations, or when grave and highly communicable diseases are encountered he shall not fail to inform the client and those to whom the disease can be of potent danger.

DUTIES OF VETERINARIANS TO THE PROFESSION

21. Upholding the honour of the profession.

A veterinarian is expected to uphold the dignity and honour of his profession.

22. Membership of societies,

For the advancement of his/her profession a veterinarian may affiliate himself/herself with professional societies and contribute his/her time, means and energy to their progress, so that they may represent and promote the ideals of the profession better.

23. Safeguarding the profession.

Every veterinarian shall laid in safeguarding the profession against admission to it of those who are deficient in moral character or education. He|she should not employ in connection with his/her professional practice any unqualified personnel to treat or perform operation upon patients.

24. Exposure of unethical conduct.

Exposure of unethical conduct on the part of any member of the profession shall be done without fear of favour The incompetent, corrupt, dishonest or unethical conduct on the part of any member of the profession shall be discouraged at any cost.

25. Apponitment of substitute.

Whenever a veterinarian (hereinafter mentioned as absent veterinarian) requests another veterinarian to attend to his/

her patient/clients during his/her temporary absence from practice professional courtesy requires the acceptance of such an appointment by the latter, if consistent with his/her other duties. The veterinarian under such appointment shall give utmost consideration to the interest and reputation of the 'absent' veterinarian. He/She shall not charge either the patient or the absent veterinarian for his/her services, except in case of special arrangement between them. All such patients shall be restored to the care of the absent veterinarian upon bis/her return.

26. Professional services of veterinarians to one another.

(1) There is no rule that a veterinarian shall not charge another veterinarian or a member of a sister protession for scrvice rendered. But a veterinarian shall consider it a pleasure and previlege to render gratuitou, service to his/ her professional brothren, if they are in his/her vicinity, or to a veterinary student.

(2) When a veterinarian is called from a distance to attend to a case of a fellow veterinarian or a member of a sister profession, reimbursement shall be made for travelling and other incidental expenses.

(3) A veterinarian called in any emergency to visit a patient under the care of a another veterinarian, shall, when the emergency is over, retire in favour of the latter; but shall be entitled to charge the client for his, her services.

(4) When a veterinarian is consulted at his/her own residence, it is not binding on him/her to enquire if the patient has been under the care of another veterinarian. But in the interests of the patient hc/she shall, while ascertaining hisstory, go through the treatment followed if any. However, it is unethical that this information be used to malign or instigate against, directly or indirectly, the veternarian who happened to attend on the patient previously. When a veterinarina sees a patient at the request of another veterinarian, it shall be the duty of the first veterinarian to write a letter to the veterinarian making the request stating his/ her opinion of the case with the modes of treatment he/she thinks proper to be adopted.

27. (1) If a veterinarian is engaged to attend on a patient of dystokia or a similar distress he/she shall do so. Refusal to do so under excuse of another engagement is unethical except when he/she is already engaged in similar or another serious case(s).

(2) When a veterinarian engaged to attend a serious case is absent and another veterinarian is sent for, the latter shall be entitled to legitimate fees; provided that he/she shall scoure the client's consent to withdraw on artival of the former at a mutually consented or logical phase.

28. When it becomes the duty of a veterinarian occupying an official position to see and report on an illness or injury or any other professional problems concerning a patient, he/she shall do so, but communicate to the veterinarian in attendance, so as to give him/her an option to be present. The former shall avoid remarks on the diagnosis or treatment that has been adopted. This does not prevent him/her from discussing the matter with the later in isolation.

DUTY OF PRACTITIONERS IN CONSULTATION

29. Consultation shall be encouraged.

In case of serious illness/doubtful or difficult conditions, a veterinarium shall always request consultation; he/she shall also do so in the case of major surgical interventions, out break of herd diseases, poisoning, endemics or undiagnosible situations,

30. Punctuality in consultations.

Punctuality shall be observed by a veterinarian in attending a consultation. If a consultant veterinarian does not arrive within reasonable time, keeping in view the distance he/she has to travel and other relevant factors the consulting veterinarian shall be at liberty to see the patient: provided that he/she shall leave his/her conclusion in writing in a closed eavelope. The same rule is applicable if the consulting veterinarian fails to turn up in time.

31. Patient referred to another veterinarian.

1) When a patient is referred to another veterinarian, a statement of the history, observation, clinical and laboratory examination as well as the tentative treatments underaken shall be given.

(2) On receipt of the above statement the veterinarian receiving the referred case shall communicate his/her opinion to the attending veterinarian and either shall continue the treatment as per his/her opinion or return the case along-with his/her opinion communicated.

32. Consultation for patient's benefit.

In every consultation, the benefit of the patient shall be of prime importance. It should not be done with an ulterior motive of evasion of responsibilities or on monetary considerations.

33. Conduct of consultation.

(1) In consultation there shall be no place for insincerity, rivalry or envy. All due respect shall be shown to the veterinarian in charge of the case and no statement or remark shall be made which would impair the confidence reposed in him/her by the client. For this purpose no such discussion shall, therefore, be made before the client.

(2) All statements to the client shall be made in the presence of consulting veterinarian, except as otherwise agreed. Announcement to the client also shall be made by the consulting veterinarian to the extent possible.

(3) Difference of opinion shall not be divulged unless both feel that is would be in the interest of the patient or dignity of the profession.

(4) It shall be open to the client to take further advice and the consulting veterinarian with the consent of the client may consult yet another veterinarian, the rules of ethics remaining the same.

34. Cessaiton of consultation.

Attendance of consulting veterinarian shall cease when consultation is concluded; unless another appointment is arranged by the attending veterinarian.

35. Treatmet after consultation.

(1) No decision shall restrain the attending veterinarian from making such subsequent variation in the treatment as any unexpected change or development may demand; provided that at the next consultation, reasons for variations are stated.

(2) The same privilege, with its obligations, belongs to the consultant when sent for in an emergency during the absence of attending veterinarian. The attending veterinarian may prescribe at any time; but the consultant only in case of emergency or instant need. All treatments by moth shall be stated to each other.

36. Consultant not to take charge of the case.

When a consultant veterinarian is called upon to be consulted, none but the rarest and most exceptional circumstances shall justify the consultant taking charge of the case He must not do so merely on solication of the client or his representative.

37. Bar on consulting non-registered veterinary practioners.

No veterinarian shall have consultation with a veterinary practitioner who is not registered.

38. Veterinarian as citizen.

Veterinarians as good citizens possessed of special training, shall advise concerning the health and husbandry of the animals, in the localities wherein they dwell. They shall play their part in enforcing the laws of the community (not favolving any communal overtones or prejudices) and in substantiating the institutions that advance the interests of humanity. They shall cooperate with the authorities in the observance and enforcement of sanitary laws and the laws relating to drugs poisions and pharmacy, made for the protection of health.

39. Public health.

A veterinarian engaged in public health work shall enlighten the public concerning quarantine regulations and measures for the prevention of epizootic, zoonotic and food borne diseases and intoxications and communicable diseases. At all times, the veterinarians shall notify the respective authorities of every case of communicable diseases under their care, in accordance with the laws, rules and regulations of the authorities. When an epidemic prevails, the veterinarian shall continue his/her labour without regard to the risk to his/her own health. He She shall endeavour to ensure hygienic handling of animal products and wastes thereof and educate the public of food-borne diseases and intoxications.

40. Livestock production and technology.

A veterinarian shall strive for the betterment of animal production through timely advice/propaganda on scientific management involving economically viable and hygienic housing, adoption of scientific breeding schedule, disease prevention routines, reproductive health monitoring, hygienic and systematic care before, at and following parturtition, care of new born, hygienic collection of farm products and proper disposal of animal products and wastes thereof.

He She should strive to educate the public and paraveterinary staff personnel regarding timely insemination and aspetic handling during A.I. and discourage the unscientific and unhygienic inseminations.

DISCIPLINARY ACTION

41. The Veterinary Council of India brings to the notice of the registered veterinary practitioners the following:

In matters regarding offences and form of professional misconduct, which may be brought before the appropriate Veterinary Council for disciplinary action, in view of the authority conferred by section 31 of the Act, the appropriate Veterinary Councils may award such punishments as deemed necessary or may direct the removal altogether, or for a specific period, from the register, the name of any registered veterinary practitioner, who has been convicted of any such offence as implies in the opinion of the Veterinary Council(s), a defect of character or who after an enquiry at which opportunity has been given to such registered veterinary practitioners to be heard in person or through a pleader has been held by the appropriate Veterinary Council to have been guilty of serious professional misconduct. The appropriate Veterinary Council may also direct that any name so removed shall be restored.

It must be clearly understood that the instances of offences and of professional misconduct which are given do not constitute and are not intended to constitute a complete list of the infamous acts which may be punished by erasure from the register and that by issuing this notice the Veterinary Council of India and/or State Veterinary Council(3) is/are in ne way precluded from considering and dealing with any professional misconduct on the part of a registered veterinary practitioner. Circumstances may and do erise from time to time in relation to which may occur questions of professional misconduct which do not come within any of these categories. Every care should be taken that the code is not violation in letter or spirit. In such instance, as in all others the Veterinary Council of India and/or State Veterinary Council(s) has/have to consider and decide upon the facts brought before the Veterinary Council of India and/or State Veterinary Council(s).

42. Professional Misconduct

The following actions shall constitute professional miscenduct:

1. Improper conduct with a patient or maintaining an improper association with a client.

2. Conviction by a Court of Law for offences involving moral turpitude.

3. Tampering with or falsely providing professional certificates, reports and other documents.—The registered veterinary practitioners are in certain cases bound by law to give or may from time to time be called upon or requested to give signed certificates, reports and other documents of kindred character by courts administrative offices, banks as part of veteriary service. (See section 30 of the Act).

- Notwithstanding the existence of other similar and/ or kindred documents such documents shall include :---
 - (a) A vaccination certificate for licensing of pets.
 - (b) A vaccination certificate for transport across border from one state to another.
 - (c) A vaccination certificate for export of animals.
 - (d) A soundness certificate for a horse or health certificate for cattle for the purpose of insurance, registration, etc.
 - (e) A certificate indicating results of tests (diagnotic) like tuberculin test.
 - (f) Post-mortem reports in vetrolegal cases, for purpose of insurance claims etc.
 - (g) Trauma certificate indicating the extent and nature of damage and/or detenoration, in veteo legal cases involving accidents, cruelty or vindication
 - (h) Birth certificates required at times for purposes of insurance, registrations, loans etc.
 - (i) A certificate indicating reproductive defects, diseases and other conditions rendering an animal uneconomic (fit for culling).
 - (j) A certificate for euthanasia where treatment is unlikely to be rewarding and; a cert/ficate of performance of euthanasia,
 - (k) Quarantine clearance certificate for having cleared quarantine at places of disembarkation of animals/ birds/livestock products.
- (2) Any registered veterinary practitioner who shall be proved to have signed or given under his/her name and authority any such certificate, report or document of a kindred character which is untrue, misleading or improperly relating to the several matters, some of which are specified above, is liable to have his/her name erased from the Indian Veterinary Practitioners' Register.
- (3) A registered veterinary practitioner shall maintain a Register of Veterinary Medical Certificates giving full details of certificates issued.
- (4) When issuing such a certificate the identification mark of the patient, name or number, if any, age

and other details including owner's name and keep a copy of the Certificate for record with him. The client's signature and/or thumb impression and a declaration that he is the genuine owner of the patient or is his authorised representative shall invariably be obtained.

4. Contravention of the provisions of law relating to drugs and regulations made thereunder.

5. Selling a drug or poison regulated by law to the public or his/her clients, save as provided by that law.

6. Performing, or enabling an unqualified person to perform, any illegal operation for which there is no medical, surgical or psychological indication.

7. Affixing a signboard on a chemist's shop or m places where the veterinarain does not reside or work. This should not be construed to mean announcement, boards or direction indicators.

8. While displaying a board or a name plac; to write anything other than his/her name, qualifications obtained from a University or a statutory body, titles and names of his/her speciality if any (such name being the content of his/her prescription rapers), and the registeration number.

9. Before euthanasia or before performing an operation not obtaining in writing the consent from the client.

10. Using touts or agents for procuring patients,

43. DISCIPLINARY COMMITTEES

There shall be a Disciplinary Committee charged with the duty of considering and determining :----

 (a) Any case of indiscipline referred to them by State Veterinary Council or appeal by aggrieved registered veterinary practitioners.

(b) Any other case of which the Disciplinary Comrate has cognisance

44. The State Veterinary Council shall investigate, through Committee(s)/Sub Committee(s) (by fact-finding and receiving complaints), regarding :---

- (a) Registered veterinary practitioners being convicted of any criminal offence which in the opinion of the committee renders unfit to practise veterinary profession.
- (b) any such veterinarain detected/judged to have been guilty of disgraceful conduct in any professional respect.
- (c) any person whose name is fraudulently entered in the register.

45. The State Veterinary Council(s) shall on receipt of complaints regarding any unregistered individual and individuals who while rendering minor veterinary services described under sub-section (b) of section 30 of the act, undertake unsupervised treatment/veterinary service assuming himself/ himself to be a veterinarian, shall make necessary investigations and advise the concerned State government to take appropriate action or shall themselves initiate action under the law.

[No. 4-4/91-VC[/3]

PROF. (DR) RAMA KUMAR V., Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992